संख्या–1888/9–आ–3–72विविध/94

प्रेषक,

**यज्ञवीर सिंह चौहान,**

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**उपाध्यक्ष**

वाराणसी विकास प्राधिकरण,

वाराणसी

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक–19 जून,2002

**विषय : वाराणसी महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 209/वि.प्रा./न.नि./2001–2002 दिनांक 18.9.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ शासनादेश संख्या 2898/9–आ–3–72–वि/94 दिनांक 30.6.2001 जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 7.8.2001 में मद संख्या–7 के अन्तर्गत यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 2898/9–आ–3–72–वि/94 दिनांक 30 जून 2001 के अधीन जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में कतिपय विकास प्राधिकरणों से प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत संशोधन किया गया था और संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स शासनादेश संख्या 379/9–आ–3–72–वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों को इस आशय से प्रेषित किए गए थे कि जिन प्राधिकरणों ने पूर्व में जारी आदर्श जोनिंग रेगुलशन्स को अंगीकृत कर लिया है, उनके द्वारा संशोधित प्रारूप को पुनः अंगीकृत करने की कार्यवाही की जाए। इसी आशय से संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की प्रति समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों/सचिवों को विकास प्राधिकरणों के कार्य–कलापों की समीक्षा बैठक दिनांक 29.1.2002 में उपलब्ध कराई गई थी।

3. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 379/9–आ–3–72–वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा जारी संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को आवश्यक परिष्कारों सहित विकास प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत कराने के उपरान्त यथाशीघ्र शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**यज्ञवीर सिंह चौहान**

विशेष सचिव।

**संख्या : 1888 (1)/9—आ—3—72वि0/94 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण ।

2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

**यज्ञवीर सिंह चौहान**

विशेष सचिव।